कार्यालय कलेक्टर जिला-बेमेतरा एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक/3५9/अ–82/भू–अर्जन/2022–23 बेमेतरा,दिनांक 15/03/23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची में कालम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम नं. (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि–अर्जन, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कालम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे.में)		
1	2	3	4	5	6	7
बेमेतरा	नवागढ़	झाल/09	455/1	0.20	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नवागढ़	झाल जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु
			459/1	0.22		
			455/2	0.35		
			456	0.70		
			457/1	0.53		
			460	0.52		
			461/1	0.30		
			461/2	0.23		
			457/2	0.52		
		योग–	09	3.57		

(1) यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि 60 दिवस के भीतर अर्जित की जानेवाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्ता/लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारित के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नवागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रस्तावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

(4) प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन को छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना कमांक एफ 4–28 सात–1/2014 दिनांक 05 फरवरी 2016 के द्वारा अधिनियम 2013 के अनुसार (सामाजिक समाघात निर्धारण सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के अनुसार कर ली गई है।

(5) प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नवागढ़ का पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(पदुम सिंह एल्मा)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

CamScanner